HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 16866/2026
CNR: RJHC021028432026 | URN: CRLMB / 31121U / 2026

Sanwarlal S/o Shri Kanhaiyalal, Aged About 27 Years, R/o Ghana, Police Station Bhinay, District Ajmer (Raj.). (At Present Confined In Sub Jail, Beawar).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajveer Singh Gurjar, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Vijay Singh Yadav, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

28/10/2026

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र बी.एन.एस.एस. की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना–विजय नगर, ब्यावर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**235/2025** अपराध अन्तर्गत धारा 311, 331(6) बी.एन.एस. में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियुक्त निर्दोष है, दिनांक 10.07.2025 से अभिरक्षा में है, कोई बरामदगी आदेश होना शेष नहीं है, निकट भविष्य में विचारण पूर्ण होने की संभावना नहीं है, सह–अभियुक्त महेन्द्र का द्वितीय जमानत आवेदन इसी न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है, जिससे प्रार्थी–अभियुक्त का मामला भिन्न नहीं है, अंत में प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

Digitally signed by
DINESH KUMAWAT
Date: 2026.10.30
14:51:55 IST

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में प्रार्थी–अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसने अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी के फार्म हाउस पर 97 लाख रुपये की डकैती कर उपरोक्त राशि लूट ली। अनुसंधान के दौरान 35.43 लाख रुपये बरामद हुए हैं, पूर्व में बकाया अभियुक्त के विरूद्ध अनुसंधान लंबित होने व अनुसंधान हेतु पर्याप्त समय नहीं मिलने आदि की स्थिति को देखते हुए दिनांक 03.12.2025 को अभियुक्त का प्रथम जमानत आवेदन खारिज किया गया था, अब अनुसंधान पूर्ण हो चुका है, विचारण के दौरान पी.डब्ल्यू–01 परिवादी रामदेव के बयान लेखबद्ध हो चुके हैं।

उपरोक्त बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए सह–अभियुक्त महेन्द्र व ओमप्रकाश को इसी न्यायालय द्वारा जमानत सुविधा दी गई थी, जिससे प्रार्थी–अभियुक्त का मामला भिन्न नहीं है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी–अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **सांवरमल पुत्र कन्हैयालाल** की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तो हस्तगत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J

131/DINESH KUMAWAT